संख्या बीमा—408/दस-97-105(ए)/91(टी० सी 1)

प्रेषक

श्री कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष
तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाक 17 अक्टूबर, 1997।

विषय : लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान।

महोदय,

वित्त (बीमा) अनुभाग

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बीमा—641/दस-96-110(ए)/94, दिनांक 18 जुलाई, 1996 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सरकारी सेवाकाल में लापता हुयें अधिकारियों/कर्मचारियों की उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत देय धनराशि का भुगतान उनके लाभार्थियों को सम्बन्धित सरकारी सेवक के लापता होने के माह के पश्चात् सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर किया जा सकता है।

2—वर्तमान नियमों के अन्तर्गत लापता सरकारी सेवकों के अन्य सेवा नैवृत्तिक लाभ—यथा; पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान उसके आश्रितों को, लापता होने के माह के पश्चात् एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कतिपय शर्तों के अधीन किया जा सकता है जबकि सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान सात वर्ष के उपरान्त ही किये जाने की व्यवस्था है। फलस्वरूप लापताकर्मी के आश्रितों/लाभार्थियों को दीर्घकाल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः इस समस्या का निराकरण करने के साथ ही योजना की कल्याणकारी छवि को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या बीमा—641/दस-96-110(ए)/94, दिनांक 18 जुलाई, 1996 को एतद्द्वारा संशोधित करते हुए लापता अधिकारियों/कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान करने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित करने के राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष आदेश प्रदान किये गये हैं :—

(1) लापता सरकारी सेवकों के मामलों में मासिक अभिदान की कटौती उसके लापता होने के माह तक ही की जायेगी तथा तद्नुसार ही उस माह में प्रभावी दरों पर योजनान्तर्गत देयों की गणना की जायेगी।

(2) सम्बन्धित सरकारी सेवक के लापता होने के माह के पश्चात् एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर बचत निधि में जमा धनराशि तथा उस पर देय ब्याज लापता होने के माह की अन्तिम तिथि तक का भुगतान किया जायेगा।

(3) बचत निधि में जमा धनराशि को प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित सरकारी सेवक के लाभार्थी/लाभर्थियों द्वारा लापता होने के माह के एक वर्ष पश्चात् एक प्रार्थना-पत्र, नोटरी द्वारा प्रमाणित शपश-पत्र के साथ सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा कि, अमुक व्यक्ति जिसके देयों को प्राप्त करने हेतु वह लाभार्थी है, सरकारी सेवाकाल में अमुक स्थान से अमुक तिथि व समय से लापता हो गया है और लापता होने की तिथि से उसे आज तक कहीं देखा-सुना नहीं गया है। इस विषय में सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गयी प्रथम सूचना रपट की प्रमाणित छाया प्रति भी संलग्न की जाये।

(4) उक्त प्रार्थना-पत्र, सरकारी सेवक की योजनान्तर्गत हुई कटौतियों के विवरण के साथ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ अग्रसारित किया जायेगा कि चूंकि अमुक कर्मचारी उपरोक्त अवधि में कहीं देखा-सुना नहीं गया है, अतः सामूहिक बीमा योजनान्तर्गत कुल देय धनराशि में से बचत निधि में जमा धनराशि का भुगतान ब्याज सहित उसके लाभार्थी/ लाभार्थियों को कर दिया जाय।

(5) परीक्षणोपरान्त, दावा यथाविधि सही पाये जाने पर, निदेशालय द्वारा बचत निधि में जमा धनराशि का भुगतान, ब्याज सहित, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(6) यदि किसी कर्मचारी का योजनान्तर्गत मासिक अभिदान किन्हीं कारणों से कतिपय अवधि/अवधियों के लिये नहीं काटा गया है और वह इस बीच लापता हो गया हो तो उक्त अवधि/अवधियों के अभिदान की कुल धनराशि उसके लाभार्थी/लाभार्थियों से ट्रेजरी चालान द्वारा सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा कराई जायेगी और दावे के साथ सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा इसकी प्रमाणित छाया प्रति भी अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित की जायेगी।

3—(1) बीमा आच्छादन की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित सरकारी सेवक के लापता होने के माह के पश्चात् सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर मृत माने जाने की दशा में ही देय होगा।

(2) उपरोक्त अवधि समाप्त होने के बाद बीमा आच्छादन की धनराशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु लापता सरकारी सेवक के लाभार्थी/लाभार्थियों को लापता होने के माह के सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर पुनः इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र, नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र के साथ सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा कि अमुक व्यक्ति जिसके देयों को प्राप्त करने हेतु वह लाभार्थी है, सरकारी सेवाकाल में अमुक स्थान से अमुक तिथि व समय से लापता हो गया था और विगत सात वर्षों से आज तक उसे कहीं देखा-सुना नहीं गया है। पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गयी प्रथम सूचना रपट की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है। अतः "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872" की धारा 108 के परिप्रेक्ष्य में उसे मृत परिकल्पित करते हुये सामूहिक बीमा योजनान्तर्गत उसके बीमा आच्छादन की धनराशि का भुगतान कर दिया जाय। प्रार्थना-पत्र में बचत निधि की धनराशि के भुगतान की स्थिति का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

(3) आहरण एवं वितरण अधिकारी इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर कम से कम एक हिन्दी व एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय स्तर के तथा दो प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में विशिष्ट रूप से एतद्सम्बन्धी विज्ञापन, जिसका प्रारूप (हिन्दी व अंग्रेजी में) परिशिष्ट-एक में दिया गया है, प्रदर्शित कर आपत्तियां विज्ञपन प्रकाशित होने की तिथि से एक माह के भीतर आमंत्रित करेंगे। यदि इस आशय के कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होती है तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सुसंगत अभिलेखों (लाभार्थी/लाभार्थियों का/ के प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र सहित तथा विज्ञापन) की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करते हुये दावा निस्तारण/भुगतान हेतु निर्धारित रूप-पत्र पर अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को अग्रसारित किया जायेगा परन्तु; यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक (लापता) के जीवित होने अथवा कहीं देखे-सुने जाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिवाद प्राप्त होता है तो ऐसे प्रकरण में लाभार्थी/लाभार्थियों को "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872" की धारा 108 के अधीन सम्बन्धित लापता सरकारी सेवक के मृत घोषित किये जाने सम्बन्धी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी की गयी घोषणात्मक डिक्री प्रस्तुत करनी होगी।

4— प्रत्येक अवसर पर लाभार्थी/लाभार्थियों से क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र (जिसका प्रारूप संलग्न परिशिष्ट–दो में दिया गया है) दो प्रतियों में भरवाया जायेगा तथा उसकी एक प्रति प्रार्थना-पत्र के साथ अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को भेजी जायेगी।

5— इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना के अन्तर्गत बीमा आच्छादन की धनराशि का भुगतान उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, भले ही इस प्रकार मानी गयी मृत्यु की तिथि सरकारी सेवक की अधिवर्षता प्राप्त करने की तिथि के बाद ही क्यों न पड़ती हो।

6—कृपया अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को इन आदेशों से अवगत करा दें।

संलग्नक: विज्ञापन का प्रारूप–परिशिष्ट–एक; तथा क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र का प्रारूप–परिशिष्ट–दो

भवदीय,

कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

संख्या बीमा—408/दस-97-105(ए)/91(टी० सी० 1), तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद;

2—समस्त प्रमुख सचिव तथा सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;

3—श्री राज्यपाल का सचिवालय;

4—माननीय लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;

5—सचिवालय के समस्त अनुभाग;

6—विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय; तथा

7—अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, विकास दीप, स्टेशन रोड, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि वे कृपया प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में आलोच्य अवधि में निष्पादित कराये गये क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्रों का एक संहत विवरण प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,

संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–एक

विज्ञापन का प्रारूप

लापता सरकारी सेवक
का चित्र

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी -------------------------

----

पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा श्री --

निवासी---

जिनका चित्र बाईं ओर दिया है, इस कार्यालय में --------------------------------

----

पद पर कार्यरत थे जो दिनांक -- से

कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये हैं।

उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी--- के / की---(सरकारी सेवक से सम्बन्ध) श्री/श्रीमती/कुमारी--------------------- --पुत्र / पुत्री / पत्नी / विधवा श्री--- ने इस आशय का एक शपथ-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि श्री/श्रीमती/कुमारी--------------------------------- दिनांक-----------------को --- स्थान से कहीं लापता हो गये हैं और विगत सात वर्षों की अवधि में उन्हें कहीं देखा-सुना नहीं गया है। अतः "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872" की धारा 108 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें मृत परिकल्पित करते हुये उनके उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना सम्बन्धी दावे का निस्तारण करके देय धनराशि का भुगतान उन्हें कर दिया जाय।

अतः सर्वसाधारण को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह कृपया अपनी आपत्ति/दावा सुसंगत साक्ष्य सहित पंजीकृत डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि आपत्ति सुसंगत साक्ष्य सहित प्रत्येक दशा में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर अवश्य प्राप्त हो जाय। यदि इस अवधि में कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होती है तो श्री/श्रीमती/कुमारी................... ....को मृत परिकल्पित करते हुये उनके सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी दावे का निस्तारण करके देय धनराशि का भुगतान उनके उक्त लाभार्थी/लाभार्थियों को कर दिया जयेगा।

कार्यालय का नाम व पता :–

आहरण एवं वितरण अधिकारी
का नाम व पद

ENGLISH VERSION

ANNEXURE–I

Proforma for advertisement

PHOTOGRAPH OF MISSING GOVT. EMPLOYEE	As per office records Sri/Srimati/Kumari.................................. ....Son/Daughter/Wife/Widow of Sri...resident of ...., whose photograph is given on the left, was working on the post of.......................in this office is reported to have been absent since.........................

Sri/Srimati/Kumari..son/daughter/wife/widow of Sri..who is.. (relationship with the Govt. employee) of Sri/Srimati/Kumari.. has preferred an affidavit in this office that Sri/Srimati/Kumari.. has been missing since..from..(place) and has not been heard of or seen for the last seven years. Therefore, under the provisions of Section 108 of "Indian Evidence Act, 1872" presuming him/her to be dead, his/her claim under "U.P. State Employees Group Insurance & Savings Scheme" may be disposed of and the amount due be paid to him/her/them.

Therefore, this is published for general information that if any one has any objection with regard to the above proposed action he/she may file his/her objection/claim duly supported by relevant evidences to the undersigned by registrered post or personally, subject to the condition that such objection alongwith relevant evidences is positively received in the office of the undersigned within one month from the date of publication of this advertisement. If no objection is received during the above period presuming Sri/Srimati/Kumari..to be dead, his/her claim under Group Insurance Scheme will be disposed of and the amount due will be paid to his/her beneficiary/ beneficiaries.

Name of Office & Address.

Name & post of Drawing & Disbursing Officer.

ANNEXURE–II

INDEMNITY BOND

THIS DEED OF INDEMNITY is made on the.. day of...19 ....corresponding to Saka Samvat the ....day of...19 ....Between (1)...................................son/daughter/husband/widow of Sri/Srimati... residing at...(hereinafter called "the Bounden I" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context include his/her heirs, executors, admnistrations & legal representatives) and (2).. son/daughter/wife/widow of Sri/Srimati..residing at.................................. (hereinafter called "the Bounden II" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context include his/her heirs, executors, administrators and legal representatives) of the one part AND the Governor of the State of Uttar Pradesh (hereinafter called "the Governor" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context include his successors–in–office and assigns) of the other part.

WHEREAS Sri/Srimati/Kumari...son/daughter/wife/ widow of Sri...was in the employment of the Government of Uttar Pradesh (hereinafter called "the Government") as...........................in.................. Department and as such he/she was enrolled as a member of U.P. State Employees Group Insurance and Savings Scheme;

AND WHEREAS the aforesaid Sri/Srimati/Kumari.. has been missing since..and has not been heard of for one year therefore, the sum of Rs...(Rupees...only) was due to Sri/Srimati/Kumari...on account of Savings Fund deposited under U.P. State Employees Group Insurance Scheme with interest incurred thereon.

AND WHEREAS the aforesaid Sri/Srimati/Kumari... has been missing since...and has not been heard of for seven years therefore, under the provisions of Section 108 of "Indian Evidence Act, 1872" he/she is presumed to be dead (hereinafter called "the deceased")

AND WHEREAS the sum of Rs.. (Rupees...only) was due to the deceased on account of Group Insurance in respect of his/her said enrolment from the Government;

AND WHEREAS the Bounden I who is...of the deceased and the Bounden II who is...of the deceased (hereinafter Jointly called "the Boundens") claim to be entitled to the aforesaid sum;

AND WHEREAS on the request of the Boundens the Government is willing to pay the aforesaid sum to the Boundens on the condition that they should first execute a Bond being these presents, to indemnify and save the Government harmless against all claims to the amount so due to the deceased before the said sum could be paid to the Boundens.

NOW THIS DEED WITNESSES THAT:—

1. In consideration of the Government agreeing to pay the Bounden/Boundens the sum as aforesaid the Boundens hereby jointly and severally covenant with the Government that, if after payment has been

made to the Boundens they shall in the event of a claim being made by any other person or by the missing Government servant, in case the deceased Government servant appears before the Government and makes any claim against the Government with respect to the aforesaid sum of Rs... (Rupees...only), refund to the Government the sum of Rs...(Rupees..only) and shall otherwise indemnify and save the Government harmless from all liability in respect of the aforesaid sum and all costs incurred in consequence of any claim thereto, then this bond shall be void but otherwise the said bond shall remain in full force, effect and virtue.

2. Without prejudice to any other legal remedy the Government may on a certificate of the Additional Director, U.P. State Employees Group Insurance Directorate, Lucknow which shall be final, conclusive and binding on the Bounden/Boundens recover all dues hereunder from him/her them as arrears of land revenue.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

In witnesses where of the parties hereto have hereunto set their hands on the day and the year first above written.

Signed by ....
(Bounden I)

Signed by...
(Bounden II)

Witnesses:—

(1)...

....

....

(Name & address)

(2)...

....

....

(Name & address)

Note: Delete Whichever is not applicable.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 113 सा० वित्त—22-11-97—(1824)—5,000—कम्प्यूटर /आफसेट।